GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 186
TO BE ANSWERED ON 02.02.2021

EMPOWERMENT OF SENIOR CITIZENS

186. SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN:

Will the Minister of **SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT** be pleased to state:

(a) the measures taken/to be taken by the Government to tackle the various problems that a aged people have to experience viz., decline in health conditions, retirement, financial problems, loneliness and dependence upon others considering the fact that the number of elderly in India is expected to grow to 173 million by 2026, which is roughly, 18 crore by the next seven years; and

(b) the measures and policies implemented by the Government to alleviate the problems of the aged people, which includes, improving the economic and social welfare, improving the health conditions, improving their participation in activities and functions etc.?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(SHRI RATTAN LAL KATARIA)

(a) & (b): A statement is laid out at **Annexure A.**

ANNEXURE-A
(As on December 2020)

MEASURES TAKEN BY GOVERNMENT OF INDIA FOR THE WELFARE OF SENIOR CITIZENS

Ministry of Social Justice and Empowerment:

1. Government of India, through Ministry of Social Justice and Empowerment, announced **the National Policy on Older Persons (NPOP) in January 1999** to reaffirm the commitment to ensure the well-being of the older persons. The Policy envisaged State support to ensure financial and food security, health care, shelter and other needs of older persons, equitable share in development, protection against abuse and exploitation, and availability of services to improve the quality of their lives. The primary objectives were to encourage individuals to make provision for their own as well as their spouse's old age; to encourage families to take care of their older family members; to enable and support voluntary and non-governmental organizations to supplement the care provided by the family; to provide care and protection to the vulnerable elderly people; to provide adequate healthcare facility to the elderly; to promote research and training facilities to train geriatric care givers and organizers of services for the elderly; and to create awareness regarding elderly persons to help them lead productive and independent live.

2. **The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (MWPSC) Act, 2007** was enacted in December 2007 to ensure need based maintenance for parents and senior citizens and their welfare. The Act provides for Maintenance of Parents/ senior citizens by children/ relatives made obligatory and justiciable through Tribunals, Revocation of transfer of property by senior citizens in case of neglect by relatives, Penal provision for abandonment of senior citizens, Establishment of Old Age Homes for Indigent Senior Citizens, Adequate medical facilities and security for Senior Citizens.

3. In order to make the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (MWPSC) Act, 2007 more contemporary to the needs of senior citizens at large, amendments, such as, adoption of uniform age criteria to define a 'senior citizens', registration and prescribing minimum standards of service, infrastructure, manpower etc. in Senior Citizens Care Homes/Multi-service Day Care Centres, rating of agencies providing Homecare services to senior citizens etc. have been proposed. **The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019** has been introduced in the Lok Sabha on 11.12.2019.

4. The **National Action Plan for the Welfare of Senior Citizens (NAPSrC)** is an umbrella scheme, effective since 1st April 2020, brings together articulation of each of the current schemes, future plans, strategies and targets and maps it with schemes/programmes, accountabilities, financials and clear outcomes. It includes four sub-schemes under it, namely:

- **Scheme of Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC):** Setting up of Homes to improve the quality of life of the Senior Citizens, especially indigent senior citizens by providing basic amenities like shelter, food, medical care and entertainment opportunities and by encouraging productive and active ageing.

- **State Action Plan for Senior Citizens (SAPSrC):** The Government of India perceives a major and critical role of all State Governments in partnering and implementing this Action Plan for welfare of senior citizens. Each State/UT is expected to plan and strategize taking into account their local considerations and frame their own State Action Plans for the welfare of their senior citizens.

- **Convergence with Initiatives of other Ministries/Departments in Government of India in the field of Senior Citizens Welfare (CWMSrC):** The NAPSrC has identified initiatives to be taken by different Departments for the benefit of senior citizens. These initiatives would be collated, department-wise and communicated to them for proposing Annual Action Plans in collaboration with this department.

- **Media, advocacy, capacity building, research and study, pilots and any other project aimed towards the welfare of the senior citizens and falling under the scope and coverage of the NAPSrC through NISD (NISDSrC):** National Institute of Social Defence (NISD), an autonomous body of this Department, is expected to be the resource centre on senior citizens in the country. It will be equipped to implement directly any project in furtherance of the objectives of the NAPSrC.

5. Further, this Ministry has launched the **'Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY)'** on 1st April, 2017 with an objective to provide senior citizens, belonging to BPL category and suffering from age related disabilities/ infirmities, with such physical aids and assisted living devices which can restore near normalcy in their bodily functions. Under the Scheme, assisted living devices such as walking sticks, elbow crutches, walkers/ crutches, tripods/ quadpods, hearing aids, wheelchairs, artificial dentures and spectacles, free of cost to senior citizens belonging to BPL category who suffer from age related disabilities/infirmities such as low vision, hearing impairment, loss of teeth and loco-motor disabilities. The Scheme has been revised w.e.f. F.Y. 2020-21. Under the revised Scheme, the criteria of selection of beneficiaries have been extended to include not only those senior citizens belonging to BPL category but also senior citizens with monthly income not more than Rs. 15000/- and who suffer from age related disabilities/infirmities as mentioned above. The Scheme is being implemented by the "Artificial Limbs Manufacturing Corporation (ALIMCO)", a Public Sector Undertaking under this Ministry. The devices are distributed in the camp mode to the identified beneficiaries. The Scheme is being funded from Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF).

6. In pursuance of the Budget Announcement, 2015-16, a **"Senior Citizens' Welfare Fund"** has been created to be utilized for such schemes, for promoting financial security of senior citizens, healthcare and nutrition of senior citizens, welfare of elderly widows, schemes relating to Old Age Homes, Short Stay Homes and Day Care of senior citizens etc. , for the promotion of the welfare of senior citizens. The Fund comprises of the unclaimed amounts transferred by every institution holding such fund in the Schemes including Small Savings and other Saving Schemes of the Central Government such as Post Office Savings Accounts, Post Office Recurring Deposits Accounts etc., Accounts of Public Provident Funds and Accounts of Employees Provident Fund, that remain unclaimed for a period of seven years from the date of the account being declared as inoperative account.

7. In pursuance of the National Policy for Older Persons (NPOP), a **National Council for Older Persons (NCOP)** was constituted in 1999 to oversee implementation of the Policy and to advise the Government in the formulation and implementation of policy and programmes for the aged. The National Council for Older Persons (NCOP) has been reconstituted and renamed as

National Council of Senior Citizens (NCSrC) in 2012. The mandate of NCSrC is to advise Central and State Governments on the entire gamut of issues related to welfare of senior citizens and enhancement of their quality of life. The Hon'ble Minister, Social Justice and Empowerment, is the Chairperson of the Council.

8. In order to recognize the efforts made by eminent Senior Citizens and Institutions involved in rendering distinguished services for the cause of elderly persons, especially indigent senior citizens, the Ministry of Social Justice and Empowerment started celebrating International Day of Older Persons (IDOP), since 1st October, 2005, giving **'Vayoshreshtha Samman'** in recognition to their contribution to the society. Further, in order to showcase the Government's concern for senior citizens and its commitment towards senior citizens with the aim of strengthening their legitimate place in the society, the Vayoshrestha Samman was upgraded to **National Award** and the Scheme of National Awards for Senior Citizens was notified in the Gazette of India on 22.01.2013. The Awards are given under thirteen categories. The National Awards were presented for the first time during 2013, on 1st October, on the occasion of International Day of Older Persons (IDOP). On 1st October every year, Ministry of Social Justice and Empowerment also organizes Health Camps, Inter-generational walkathons etc. in different States with active participation of Senior Citizens, Youth, Celebrities and Media-persons etc.

Ministry of Rural Development:

9. National Social Assistance Programme (NSAP) is a Centrally Sponsored Scheme of Ministry of Rural Development. NSAP is a social security/social welfare programme applicable to old aged, widows, disabled persons and bereaved families on death of primary bread winner, belonging to below poverty line household. Old age pension is provided under **Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)** to aged persons belonging to below poverty line (BPL) household. Central assistance of Rs. 200/- per month is provided to the persons of 60-79 years of age and Rs. 500/- per month to the persons of age of 80 years or more. This Scheme is implemented by the States/UTs. Identification of beneficiaries, sanction and disbursement of benefit under the schemes is done by the States/UTs. A total of 221 lakh is the targeted beneficiaries under IGNOAPS. The Scheme is implemented in all States/ UTs in rural as well as urban areas.

Department of Food and Public Distribution

10. Department of Food and Public Distribution allocates food grains as per requirements projected by the Ministry of Rural Development under the **Annapurna Scheme**, wherein indigent Senior Citizens, who are not getting pension under IGNOAPS, are provided 10 kg of food grains per person per month free of cost. It also implements **Antyodaya Anna Yojana** (AAY), under which rice and wheat at a highly subsidised cost, is extended to households, headed by widows/terminally ill/disabled persons/senior citizens, with no assured means of maintenance or societal support.

Ministry of Finance:

11. Ministry of Finance has launched a scheme namely **'Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana' (PMVVY)** to provide social security during old age and to protect elderly persons aged 60 and above against a future fall in their interest income due to uncertain market conditions. The Scheme enables old age income security for senior citizens through provision of assured pension/ return linked to the subscription amount based on Government guarantee to Life Insurance Corporation of India (LIC).

PMVVY is open for subscription upto 31st March 2023 and offers an assured rate of return of 7.40% per annum for the year 2020-21 for policy duration of 10 years. In subsequent years, while the Scheme is in operation full month 2023, there will be annual reset of assured rate of return with effect from April 1st of the financial year in line with applicable rate of return of Senior Citizens Saving Scheme (SCSS) upto a ceiling of 7.75% with fresh appraisal of the scheme on breach of this threshold at any point.

The differential return, i.e. the difference between return generated by LIC and the assured returns would be borne by Government of India as subsidy on an annual basis. Pension is payable at the end of each period during the policy tenure of 10 years as per the frequency of monthly/ quarterly/ half-yearly as chosen by the subscriber at the time of purchase. Minimum purchase price under the scheme is Rs. 1,62,162/- for a minimum pension of Rs. 1,000/- per month and the maximum purchase price is Rs. 15 lakh per senior citizen for getting a pension amount of Rs. 9,250/-.

The Scheme is being implemented through Life Insurance Corporation of India (LIC). A total number of 5,83,208 subscribers are being benefitted under the scheme as on 31st December, 2020.

Department of Pension & Pensioners' Welfare

12. Department of Pension & Pensioners' Welfare monitors and ensures that the retiring Central Government employees are granted retirement benefits including pension, so that they can live an active and dignified life after retirement.

Ministry of Home Affairs

13. The Ministry of Home Affairs has issued two detailed advisories dated 27-3-2008 and 30-8-2013 to all States Governments/UTs advising them to take immediate measures to ensure **safety and security** and for elimination of all forms of neglect, abuse and violence against old persons through initiatives such as identification of senior citizens, sensitization of police personnel regarding safety, security of older persons, regular visit of the beat staff; setting up of toll free senior citizen helpline; setting up of senior citizen security cell; verification of domestic helps, drivers etc.

Ministry of Railways:

14. Indian Railways have taken various measures for Welfare of senior citizens, some of which are under:

i. As per rules, male Senior Citizens of minimum 60 years and lady Senior Citizens of minimum 58 years are granted **concession in the fares** of all classes of Mail/Express/Rajdhani/Shatabdi/Jan Shatbdi/Duronto group of trains. The element of concession is 40% for men and 50% for women.

ii. In the computerised Passenger Reservation System (PRS), there is a provision to allot **lower berths to Senior Citizens**, Female passengers of 45 years and above automatically, even if no choice is given, subject to availability of accommodation at the time of booking.

iii. Accommodation is also earmarked for Senior Citizens during specified hours on **suburban sections** by Central and Western Railways.

iv. To help old and disabled passengers requiring assistance at the stations and to strengthen the existing services, **'Yatri Mitra Sewa'** is being provided through IRCTC at major stations for enabling passengers to book wheelchair services cum porter services etc.

v. **Separate counters** are earmarked at various Passengers Reservation System (PRS) centres for dealing with the reservation requisitions received from Physically persons with disability, Senior Citizens, ex-MPS, MLAs accredited journalists and freedom fighters, if the average demand per shift not less than 120 tickets. In case there is no justification for earmarking of an exclusive counter for any of these categories of persons including persons with disability or senior citizens, one or two counters depending upon the total demand are earmarked for dealing with the reservation requests for all these categories of persons.

Ministry of Health and Family Welfare:

15. Government of India has been implementing **National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE)** from the F.Y. 2010-11 to provide dedicated healthcare services to the elderly people at various level of state health care delivery system at primary, secondary and tertiary health care including outreach services. The Programme has two components with the following provisions to provide health care facilities to the elderly people in the country:-

(1) **National Health Mission (NHM) component:** The district and below activities of the programme is being covered under Non-Communicable Diseases (NCD) flexible pool of NHM which are as follows: (1) Geriatric OPD and 10 bedded Geriatric Ward at District Hospitals, (2) Bi-weekly Geriatric Clinic at Community Health Centres (CHCs), (3) Weekly Geriatric Clinic at Primary Health Centre (PHCs), and (4) Provision of Aids and Appliances at Sub-centres. The programme is being implemented on the basis of Programme Implementation Plan (PIP) submitted by the States/UTs and viability under the provisions of NPHCE.

(2) **Tertiary Component:** In addition to NHM component of the programme, to ensure appropriate referral for conditions not amenable to be treated at primary and secondary level to create human resource orientated towards geriatric care, this Ministry is supporting development of Regional Geriatric Centres (RGCs) with and establishment of 02 National Centres of Ageing each at AIIMS, New Delhi and MMC, Chennai with the following geriatric health care facilities – (1) Geriatric OPD, 30 bedded Geriatric ward for in-patient care @ RGCs and 200 bedded Geriatric ward @ NCAs, (2) 02 PG seats per RGC and 15 PG seats per NCA in Geriatric Medicine, and (3) Research activities, Imparting Training and Development of training material.

16. The **Longitudinal Ageing Study in India (LASI) Project** was launched in 2016 to assess the health, economic and social status of the elderly (age 45-60). LASI project is being conducted by International Institute for Population Sciences, IIPS, (Deemed University), Mumbai which is an autonomous organization under Ministry of Health and Family Welfare.

17. During 2018-19, Government approved the launch of **Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)** to cover over 10 crore poor and vulnerable families, providing coverage upto Rs. 5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalization. With the launch of the PMJAY, Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) and Senior Citizen Health Insurance Scheme (SCHIS) will be subsumed in it. All enrolled beneficiary families of RSBY and SCHIS are entitled for benefits under PMJAY.

Ministry of Communications:

18. **Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL),** under Ministry of Communications, has reported that Senior Citizens of the age of 65 years and above are exempted from payment of registration charges for Landline Telephone Connection. Further, **Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL)** provides concession of 25% in installation/activation charges and monthly services/rental charges for Landline connections under Plan-250 to Senior Citizens above 65 years of age.

Ministry of Civil Aviation:

19. In order to facilitate the passengers, particularly senior citizens, expectant mothers, passengers with disability, first time travellers etc., Ministry of Civil Aviation has instructed all the stakeholders to ensure that the following requirements are complied:

- Airline /airport operator shall ensure provision of **automated buggies free of charge** for all senior citizens, in the terminal building to facilitate their access to boarding gates located beyond reasonable walking distance at all airports having annual aircraft movements of 50,000 or more. This facility may be extended to other needy passengers on demand basis free of charge.
- Airport operators shall provide **small trolleys after security check** for carriage of hand baggage (permitted as per regulation) up to the boarding gate.
- Airport operator shall adequately display information regarding availability of automated buggies and small trolleys in the terminal building at prominent locations including dos and don'ts regarding the same. This shall also be published on the website of the airport operator.
- Further, Air India offers **50% discount to senior citizens on the highest economy class** Basic Fare. The discount is offered to those who have completed 60 years of age on the date of commencement of journey.
- Senior citizens can also avail multi-level fares offered by Air India on each sector for travel on domestic sectors, starting from a low level advance purchase fares which facilitate early selling to the highest one.

Ministry of Housing and Urban Affairs:

20. Ministry of Housing and Urban Affairs, Department of Urban Development has issued the Model Building Bye Laws, 2016 (MBBL) prescribing standards for **creation of elder friendly barrier free environment** with reference to buildings, toilets etc. Urban Local Bodies shall implement the Policy by adopting the Model Building Bye Laws, 2016. Further, under Urban Bus Specification-II issued in 2013, the emphasis on buses financed by the Department of Urban Development is on procurement of **low floor buses** with proper ramps for easy access of the passengers and proper space for wheel chair to be placed in the bus for the benefit of disabled persons and senior citizens. All metro rail projects implemented/under implementation in the country are having disabled and elder friendly infrastructure such as **proper ramps/lifts** to the stations. There is a provision for **reservation of seats in metro rail coaches** for differently-abled persons and senior citizens. Further, Housing for All Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines have been circulated to State/UTs to meet the demand of housing in their States/UTs, which interalia incorporates that 'while making the allotment, families with senior citizens should be given **priority for allotment on ground floor or lower floors'.**

Ministry of Women and Child Development:

21. The Ministry of Women and Child Development has constructed a 1000 bedded **Old Age friendly Home for Widows,** named Krishna Kutir, at Sunrakh Bangar, Vrindavan, Distt. Mathura, Uttar Pradesh to provide them safe and secure place to stay, health services, nutritious food, legal and counseling services. The Home consists of a ground plus three floors with the facilities of ramps, lifts, supply of adequate electricity, water and other amenities for meeting the requirement of senior citizens and persons with special challenges. The Home is operational w.e.f. 01.09.2018 and managed by Govt. of Uttar Pradesh.

Ministry of AYUSH:

22. Ministry of AYUSH provides free consultation, yoga therapy and yoga training under Yoga and Naturopathy and runs OPDs in various Government Hospital across the country.

***

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 186
उत्तर देने की तारीखः 02.02.2021

वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण

186. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करें किः**

(क) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारत में वृद्धों की संख्या 2026 तक 173 मिलियन तक अर्थात अगले सात वर्षों में लगभग 18 करोड़ हो जाने की संभावना है, वृद्ध व्यक्तियों को होने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे-स्वास्थ्य में गिरावट, सेवानिवृत्ति, आर्थिक समस्या, अकेलापन और दूसरों पर निर्भरता से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने वाले हैं; और

(ख) सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करने के लिए आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, गतिविधियों और उत्सवों आदि में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और नीतियां कार्यान्वित की गई हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): एक विवरण अनुबंध-'क' पर रखा गया है।

अनुबंध-क

(दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार)

भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ किए गए उपाय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

1. भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धजनों की कुशलता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए **राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) की घोषणा जनवरी, 1999** में की थी। इस नीति में वृद्धजनों की वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं, विकास में बराबर का शेयर, वृद्धजनों के प्रति दुर्व्यवहार एवं शोषण से संरक्षण और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की सहायता की परिकल्पना की गई थी ताकि उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धजनों को अपने लिए एवं अपनी पत्नियों के लिए वृद्धावस्था में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करना; परिवारों को अपने परिवार के वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना; परिवार द्वारा प्रदत्त देखभाल की अनुपूर्ति के लिए स्वैच्छिक एवं गैर सरकारी संगठनों को समर्थ बनाना था ताकि संवेदनशील वृद्धजनों की देखभाल एवं संरक्षण की व्यवस्था की जा सके; वृद्धजनों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान की जा सके; जरा-चिकित्सा करने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं एवं तत्संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके और वृद्धजन सेवा संबंधी संगठनों को बढ़ावा दिया जा सके; और वृद्धजनों के बारे में जागरुकता पैदा की जा सके ताकि वे उपयोगी एवं स्वतंत्र जीवन-यापन कर सकें।

2. **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007** दिसम्बर, 2007 में अधिनियमित किया गया था ताकि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और उनके कल्याण से संबंधित आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस अधिनियम में बच्चों/नातेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के अनिवार्य भरण-पोषण की व्यवस्था की गई है और यदि नातेदारों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति लापरवाही की जाती है तो उस दिशा में संपत्ति अंतरण को न्यायाधिकरणों के माध्यम से वापस लिया जा सकता है, वरिष्ठ नागरिकों का परित्याग करने के लिए इस अधिनियम में दंड की व्यवस्था की गई है, निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की व्यवस्था की गई है, वरिष्ठ नागरिकों के वास्ते पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है।

3. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 को ज्यादा समसामयिक बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की व्यापक

आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन, जैसे "वरिष्ठ नागरिकों" को परिभाषित करने के लिए एक-समान आयु संबंधी मानदंड अपनाना, पंजीकरण और सेवा, वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृहों/बहुसेवा दिवा-देखभाल केंद्रों मे अवसंरचना, जनशक्ति आदि के न्यूनतम मानक निर्धारित करना, वरिष्ठ नागरिकों को गृह देखभाल सेवाएं देने वाली एजेंसियों आदि का प्रस्ताव किया गया है। **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक 11.12.2019 को लोक सभा में पेश किया गया था।**

4. **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कल्याण संबंधी कार्य योजना (एनएपीएसआरसी)** एक अंब्रैला योजना है जो 01 अप्रैल, 2020 से लागू है। इसमें चालू योजनाओं, भावी योजनाओं, नीतियों और लक्ष्यों को एक साथ तैयार किया गया है और उसे योजनाओं/कार्यक्रमों, जिम्मेदारियों, वित्तीय पहलुओं और स्पष्ट परिणामों के साथ संयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत 4 उप-योजनाएं हैं:-

- **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम योजना (आईपीएसआरसी):** वरिष्ठ नागरिकों, विशेषतः वरिष्ठ निराश्रित को बुनियादी सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करके उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गृहों की स्थापना करना और उन्हें उत्पादक एवं सक्रिय वृद्धावस्था जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना।

- **वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी):** भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ इस कार्य योजना में भागीदारी करने और उसे कार्यान्वित करने में सभी राज्य सरकारों की प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने राज्य के अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ अपने राज्य की कार्य योजनाओं को तैयार करें और स्थानीय विचार योग्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नीति तैयार करें।

- **वरिष्ठ नागरिक कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार के अन्य मंत्रालयोंविभागों के पहल / (सीडब्ल्यूएमएसआरसी) कार्यों के साथ अभिसरण**: एनएपीएसआरसी ने वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले पहल कार्यों की पहचान की है। इन पहल कार्यों को विभागवार बांटा जाएगा और इस विभाग के सहयोग से वार्षिक कार्य योजनाओं का प्रस्ताव करने के लिए उन्हें संप्रेषित किया जाएगा।

- **मीडिया, एडवोकेसी, क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं अध्ययन, प्रायोगिक परियोजनाओं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ एवं एनआईएसडी के माध्यम से एनएपीएसआरसी कवरेज के अंतर्गत आने वाले कार्यः** राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान इस (एनआईएसडी) विभाग का एक स्वायत्त निकाय है। यह आशा की जाती है कि यह संस्थान देश के

वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में एक स्रोत केंद्र बने। इसे एनएपीएसआरसी के उद्देश्योंको आगे बढ़ाने के लिए किसी परियोजना को सीधे ही कार्यान्वित करने के लिए इसे सुसज्जित किया जाएगा।

5. इसके अलावा, इस मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2017 में **"राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)"** प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य उन बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करना है जो आय-जन्य दिव्यांगताओं/निर्योग्यताओं से जूझ रहे हैं जिन्हें ऐसी शारीरिक सहायता एवं जीवन सहायक साधनों की आवश्यकता होती है जिनसे उनके साथ ही कार्यकलाप लगभग सामान्य हो सकें। इस योजना के अंतर्गत जीवन सहायक साधन जैसे छड़ी, एल्बोक्रेच, वाकर/क्रच, ट्रायपॉड/क्वापॉड/श्रवण सहायक यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम दांत और चश्में उन बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं जो आयु-जन्य दिव्यांगताओं/निर्योग्यताओं से जूझ रहे हों जैसे कम दिखाई देना, सुनाई न देना, दांत झड़ना और चलने-फिरने में असमर्थ यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से संशोधित की गई। इस संशोधित योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों के चयन के मानदंड में विस्तार किया गया है ताकि न केवल बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाए बल्कि उन वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल किया जाए जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं है और जो उपर्युक्त आयु जन्य दिव्यांगताओं/निर्योग्यताओं से जूझ रहे हैं। यह योजना इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इन उपकरणों को पहचानशुदा लाभार्थियों को कैम्प मोड में वितरित किया जाता है। यह योजना वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से वित्त पोषित की जा रही है।

6. बजट घोषणा, 2015-16 के अनुसरण में, वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा का संवर्धन करने, वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिक आहार, वृद्ध विधवाओं के कल्याण, वृद्धाश्रमों से संबंधित योजनाओं, अल्पावधि विश्रामगृहों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों आदि, वरिष्ठ नागरिक के कल्याण को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं के उपयोग के लिए **"वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि"** का सृजन किया गया है। इस निधि में केन्द्रीय सरकार की लघु बचत और अन्य बचत योजनाएं जैसे डाक घर बचत खाता, डाक घर आवर्ती जमा खाता आदि, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता और कर्मचारी भविष्य निधि खाता सहित योजनाओं में पड़ी ऐसी निधि वाली प्रत्येक संस्था द्वारा अन्तरित बेदावा राशि शामिल है जिनमें उनके निष्क्रिय खाता घोषित होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि से बेदावा राशियां पड़ी हुई हैं।

7. राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) के अनुसरण में, एक नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करने और वृद्धजनों के लिए नीति और कार्यक्रमों को तैयार तथा कार्यान्वित करने संबंधी कार्य में सरकार को सलाह देने के लिए वर्ष 1999 में **राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद (एनसीओपी)** का गठन किया गया था। राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद (एनसीओपी) को वर्ष 2012 में पुनःगठित किया गया था और उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद

(एनसीएसआरसी) किया गया था। एनसीएसआरसी के अधिदेश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन की गुणवत्ता से संबंधित सम्पूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना शामिल है। माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता इस परिषद के अध्यक्ष हैं।

8. वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से, समाज को दिए उनके योगदान को मान्यता देने के लिए **'वयोश्रेष्ठ सम्मान'** प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2005 से अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी) आयोजित करना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, समाज में वरिष्ठ नागरिकों के यथोचित स्थान को सुदृढ़ करने की दिशा में वरिष्ठ नागरिकों के हितों के प्रति सरकार की चिंता और उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने की दृष्टि से, वयोश्रेष्ठ सम्मान को **राष्ट्रीय पुरस्कार** के रूप में अपग्रेड किया गया था और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार योजना को भारत के राजपत्र में दिनांक 22.01.2013 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत तेरह श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार वर्ष 2013 के दौरान, 1 अक्टूबर को, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी) के अवसर पर दिए गए थे। प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य शिविर, अंतरपीढ़ी वॉकाथन आदि का भी आयोजन करता है जिसमें वरिष्ठ नागरिक, युवा लोग, नामी व्यक्ति और मीडिया के लोग आदि सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

9. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना है। एनएसएपी एक समाज सुरक्षा/समाज कल्याण कार्यक्रम है जो वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्राथमिक कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर ऐसे पीड़ित परिवारों पर लागू होता है। वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले परिवारों को **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** के अंतर्गत दी जाती है। 60-79 आयु के व्यक्तियों को प्रतिमाह 200 रुपये और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान, लाभ की स्वीकृति एवं वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत कुल 221 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

10. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, **अन्नपूर्णा योजना** के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमानित अपेक्षाओं के अनुसार खाद्य सामग्री आबंटित करता है, इसमें निराश्रित वरिष्ठ नागरिक जिन्हें आईजीएनओएपीएस अंतर्गत पेंशन नहीं मिलती, उन्हें प्रतिमाह दस किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। यह विभाग **अंत्योदय अन्न योजना** (एएवाई) कार्यान्वित करता है जिसके तहत चावल और गेंहू उच्च सब्सिडी कृत लागत पर उन परिवारों को प्रदान किया जाता है जिनके मुखिया विधवा/अत्यधिक बीमार/विकलांग व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके पास भरण-पोषण और सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।

वित्त मंत्रालय:

11. वित्त मंत्रालय ने बाजार की अनिश्चित स्थितियों के कारण 60 वर्ष या अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट को रोकने, इसके साथ-साथ वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' (पीएमवीवीवाई) नामक एक योजना आरंभ की है। इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को दी गई सरकारी गारंटी के आधार पर अंशदान राशि से संबद्ध अश्वस्त पेंशन/आय के प्रावधान के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धजन आय सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

पीएमवीवीवाई में 31.05.2023 तक अंशदान किया जा सकता है और इसमें 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 7.40% प्रतिवर्ष आय की अश्वस्त दर की पेशकश की गई है। बाद के वर्षों में, जबकि यह योजना 31 मार्च, 2023 चालू रहेगी, उक्त वित्त वर्ष के 1 अप्रैल से आय की वार्षिक अश्वस्त दर को निर्धारित किया जाएगा जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में लागू 7.75% की अधिकतम आय दर तक होगी जिसमें किसी भी समय योजना का नए सिरे से मूल्यांकन करते समय संशोधन किया जा सकता है।

भिन्न आय अर्थात् एलआईसी द्वारा सृजित आय और अश्वस्त आय के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा। 10 वर्ष की पॉलिसी की अवधि के दौरान, प्रत्येक अवधि के समाप्त होने पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा जो अंशदाता द्वारा पॉलिसी की खरीद करते समय मासिक/तिमाही/छमाही के आधार पर होगा। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य 1,62,162/- रुपए है जिसमें 1,000/- रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी और 15 लाख रुपए के अधिकतम खरीद मूल्य पर 9,250/- रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।

इस स्कीम को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत कुल 5,83,208/- अंशदाताओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

12. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यह निगरानी करता है तथा सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जांए ताकि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् सक्रिया और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।

गृह मंत्रालय

13. गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.03.2008 और 30.08.2013 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दो विस्तृत सलाह पत्र जारी किए हैं जिसमें उन्हें वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने, वृद्धजनों की **सुरक्षा और संरक्षा** के संबंध में पुलिस कार्मिकों को सुग्राही करने, बीट स्टॉफ के नियमित दौरा, टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्प लाइन की स्थापना, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना, घरेलू सहायक, ड्राइवरों आदि का सत्यापन जैसी पहलों के माध्यम से वृद्धजनों की उपेक्षा, दुर्व्यहार और हिंसा के सभी रूपों का उन्मूलन करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने की सलाह दी गई है।

रेल मंत्रालय

14. भारतीय रेल ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) नियमों के अनुसार न्यूनतम 60 वर्ष के पुरूष वरिष्ठ नागरिकों तथा न्यूनतम 58 वर्ष की महिला वरिष्ठ नागरिकों को रेलगाड़ियों के मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी/ जनशताब्दी/दुरंतों सभी श्रेणियों में **मूल किराए में छूट** प्रदान की जाती है। छूट की दर पुरुषों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 50% है।

(ii) कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में **वरिष्ठ नागरिकों**, 45 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों के लिए यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया है फिर भी बुकिंग के समय बर्थ की उपलब्धता के आधार पर स्वतः **लोअर बर्थ आबंटित** करने का प्रावधान है।

(iii) सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे द्वारा **सबअर्बन सेक्शंस** पर विनिर्दिष्ट घंटों के दौरान भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें निर्धारित हैं।

(iv) स्टेशनों में सहायता चाहने वाले वृद्ध तथा दिव्यांग यात्रियों को मदद करने तथा मौजूदा सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए, व्हील चेयर सेवाएं सह कुली सेवाएं आदि बुक करने के लिए यात्रियों को सक्षम बनाने हेतु प्रमुख स्टेशनों पर आईआरसीटीसी के माध्यम से **'यात्री मित्र सेवा'** प्रदान की जा रही है।

(v) शारीरिक दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, भूतपूर्व-संसद सदस्यों, विधायकों, प्रत्यायित पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से आरक्षण मांग-पत्र देखने के लिए यदि औसत मांग प्रति शिफ्ट 120 टिकट से कम नहीं है, तो विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्र पर **अलग से कांउटर** निर्धारित हैं। दिव्यांगजनों अथवा वरिष्ठ नागरिकों सहित इन श्रेणियों में से किसी के लिए एक अनन्य कांउटर निर्धारित करने के लिए कोई औचित्य न होने के मामले में इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के आरक्षण अनुरोधों का निपटान करने के लिए कुल मांग पर निर्भर करते हुए एक अथवा दो काउंटर निर्धारित होने चाहिए।

<u>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</u>

15. भारत सरकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, आउटरीच सेवा सहित, हेतु राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदायगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2010-11 से **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)** को कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं जिनमें देश के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(1) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) घटक** - कार्यक्रम की जिला और निम्न गतिविधियों को एनएचएम की असंक्रमणीय रोग (एनसीडी) फ्लेक्सीबल पूल के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है जो निम्नलिखित हैं: (1) जिला अस्पतालों में जरा-चिकित्सा ओपीडी और 10 बिस्तर वाला जरा-चिकित्सा वार्ड, (2) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सप्ताह में दो बार जरा-चिकित्सा क्लीनिक, (3) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में साप्ताहिक जरा-चिकित्सा क्लीनिक, (4) उप-केंद्रों में शारीरिक सहायक यंत्रों एवं जीवन सहायक उपकरणों की व्यवस्था। इस कार्यक्रम को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) और एनपीएचसीई के प्रावधानों के अंतर्गत उसकी व्यवहारिता के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

(2) **तृतीयक घटक:** इस कार्यक्रम के एनएचएम घटक के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जरा-चिकित्सा देखभाल के प्रति मानव संसाधन सृजित करने हेतु प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त रेफरेल की स्थिति अनुकूल नहीं हैं, यह मंत्रालय क्षेत्रीय जरा-चिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) के विकास में सहायता देने और एम्स, नई दिल्ली और एमएमसी चेन्नै में दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र स्थापित करने, जिनमें निम्नलिखित जरा-चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध हैं, की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रहा है - (1) जरा-चिकित्सा ओपीडी, अंतरंग मरीजों की देखभाल के लिए आरजीसी की दर पर 30 बिस्तर वाला जरा-चिकित्सा वार्ड और एनसीए की दर पर 200 बिस्तर वाला जरा चिकित्सा वार्ड, (2) जरा-चिकित्सा में आरजीसी के लिए दो पीजी सीटें और एनसीए के लिए 15 पीजी सीटें, (3) अनुसंधान संबंधी गतिविधियां, प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।

16. **भारत में देशांतरीय वृद्धावस्था परियोजना (एलएएसआई):** इस परियोजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में वरिष्ठ नागरिकों (आयु 45-60) की स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया गया था। एलएएसआई परियोजना का कार्यान्वयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, आईआईपीएस, (मानद विश्वविद्यालय), मुम्बई द्वारा किया जा रहा है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है।

17. वर्ष 2018-19 के दौरान, सरकार ने माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल के इलाज के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करने के लिए 10 करोड़ गरीब और असुरक्षित परिवारों को कवर करते हुए **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)** को शुरू करने के संबंध में अनुमोदन दिया था। पीएमएजीवाई की शुरूआत के साथ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (एससीएचआईएस) का इस योजना में विलय हो जाएगा। आरएसबीवाई और एससीएचआईएस के सभी नामांकित लाभार्थी परिवार पीएमजेएवाई के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं।

संचार मंत्रालय:

18. संचार मंत्रालय के अंतर्गत **भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)** ने सूचित किया है कि 65 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को लेंडलाइन टेलिफोन क्नेकशन के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, संचार मंत्रालय के अंतर्गत **महानगर टेलीफोन लिमिटेड (एमटीएनएल)** 65 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में प्लान 250 के अंतर्गत लेंडलाइन क्नेक्शन के लिए इंस्टालेशन/एक्टीवेशन प्रभार और मासिक सेवा/किराया प्रभार में 25% की छूट प्रदान करता है।

नागर विमानन मंत्रालय

19. यात्रियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, विकलांग यात्रियों, प्रथम बार यात्री इत्यादि की सुविधा के लिए सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए हैं कि निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए:

- एयरलाइन/एयरपोर्ट आपरेटर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उस टर्मिनल भवन में जिसमें 50,000 या अधिक की वार्षिक एयरक्राफ्ट आवागमन है, ऐसे सभी एयरपोर्टों पर उपयुक्त पैदल दूरी के आगे अवस्थित बोर्डिंग गेटों के लिए पहुंच सुविधा प्रदान करने हेतु **नि:शुल्क स्वचालित बग्गियों** का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे। यह सुविधा मांग करने पर अन्य जरूरतमंद यात्रियों को नि:शुल्क प्रदान की जाए।

- एयरपोर्ट आपरेटर बोर्डिंग गेट तक हेंडबैग (अनुमत विनियम के अनुसार) ले जाने के लिए **सुरक्षा जांच के पश्चात छोटी ट्रालियां** प्रदान करेंगे।

- एयरपोर्ट आपरेटर टर्मिनल भवन में प्रमुख स्थानों पर स्वचालित बग्गियों तथा छोटी ट्रालियों की उपलब्धता के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रदर्शित करेंगे जिसमें ऐसा करने और ऐसा नहीं करने के संबंध में सूचना भी दी जाएगी। इसे एयरपोर्ट आपरेटर की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त, **एयर इंडिया उच्चतम इकोनोमी क्लास के बेसिक किराये में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% छूट** प्रदान करता है। यह छूट उनको प्रदान की जाती है जिन्होंने यात्रा आरंभ करने की तिथि पर 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

- वरिष्ठ नागरिक, एक निम्न स्तर अग्रिम खरीद भाड़े से जो उच्चतम टिकट की प्रारंभ बिक्री सुकर बनाता है, से आरंभ करते हुए घरेलू सेक्टरों पर यात्रा के लिए प्रत्येक सेक्टर पर एयर इंडिया द्वारा प्रस्तावित बहु-स्तरीय किरायों का भी लाभ उठा सकता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय :

20. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी विकास विभाग ने माडल भवन उप-नियम, 2016 (एमबीबीएल) जारी किए हैं जिसके अंतर्गत भवनों, शौचालयों आदि के संदर्भ में **बुजुर्गों के अनुकूल अवरोध मुक्त वातावरण** सृजित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय, मॉडल भवन उप-नियम 2016 का अनुसरण करके इस नीति को कार्यान्वित करेंगे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013 में जारी किए गए शहरी बस विनिर्देश-II के अंतर्गत, शहरी

विकास मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित बसों के संबंध में **लो-फ्लोर बसों** की खरीद करने, जिनमें यात्रियों के लिए आसानी से प्रवेश करने हेतु उपयुक्त रैम्प की सुविधा और दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बस में व्हील-चेयर में रखने की व्यवस्था हो, पर जोर दिया गया है। देश में क्रियान्वित की गई/क्रियान्वित की जा रही सभी मेट्रों रेल परियोजनाओं में दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुकूल आधारभूत सुविधाओं जैसेकि स्टेशनों पर **उपयुक्त रैम्प/लिफ्टें,** यात्रियों के उतरने-चढ़ने के लिए लेवल बोर्डिंग आदि की सुविधा उपलब्ध है। विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए **मेट्रो रेल के डिब्बों में सीटों के आरक्षण** का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी दिशा-निर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आवास की मांग पूरी करने के लिए परिचालित किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह शामिल किया गया है कि 'आवंटन करते समय, वरिष्ठ नागरिकों के परिवारों को **भू-तल अथवा निचले तलों पर आवंटन के लिए प्राथमिकता** दी जाए'।

महिला और बाल विकास मंत्रालय :

21. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने संरख बंगर, वृंदावन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए एक गृह का निर्माण किया है जिसमें 1000 विधवाओं को रहने का सुरक्षित और संरक्षित स्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था है। इस गृह में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रैम्प, लिफ्ट, पर्याप्त बिजली की आपूर्ति, पानी और अन्य सुविधाओं के साथ भू-तल और तीन तल हैं। यह गृह 01.09.2018 से प्रचालनरत है और इसका प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।

आयुष मंत्रालय :

22. आयुष मंत्रालय योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत नि:शुल्क परामर्श, योग चिकित्सा और योग प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा देश भर में अवस्थित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में ओपीडी को संचालित करता है।

*****